

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(7)नविवि/3/1997

जयपुर, दिनांक: यथा हस्ताक्षरित

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.05.2003 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदित शाहपुरा मास्टर प्लान-2023 की समयावधि दिनांक 31.12.2025 को समाप्त हो गयी है, को एतद्वारा दिनांक 31.12.2027 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18.11.1997 के द्वारा अधिसूचित "शाहपुरा नगरीय क्षेत्र" के लिये लागू रहेगा।

(रवि विजय)
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद, शाहपुरा, जिला जयपुर।
8. प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम